न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 77/2019 G.C.M.S. No. 2019/00376 वर्ज दिनांक : 17.10.2019

अपीलार्थिगण:

1. हेमाराम पुत्र मोजाराम, उम्र 65 वर्ष
2. सायरीदेवी पत्नि हेमाराम, उम्र 62 वर्ष, जातिगण भाट, निवासीगण दानासनी, तहसील रोहट, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मृत पुखाराम पुत्र मौजाराम, जाति भाट, निवासी दानासनी, तहसील रोहट व जिला पाली के उत्तराधिकारीगण:–
   1/1 महेन्द्र पुत्र स्वर्गीय पुखाराम, उम्र बालिग
   1/2 नारायण पुत्र स्वर्गीय पुखाराम, उम्र बालिग
   1/3 रूकमादेवी पत्नि स्वर्गीय पुखाराम, उम्र बालिग, सभी जातिगण भाट, निवासीगण दानासनी, तहसील रोहट हाल ठिकाना– 1 बी 202, कुडी भगतासनी, जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर।
2. भीकाराम पुत्र नारू, उम्र बालिग
3. पुकाराम पुत्र नारू, उम्र बालिग
4. हरीराम पुत्र नारू, उम्र बालिग
5. शंकर पुत्र बींजा, उम्र बालिग
6. रमेश पुत्र प्रताप, उम्र बालिग, सभी जातिगण भाट, निवासीगण दानासनी, तहसील रोहट, जिला पाली।
7. पपाराम पुत्र प्रताप, नाबालिग जरिये कुदरती वली मु. तुलसी बेवा प्रताप, जाति भाट, निवासी दानासनी, तहसील रोहट व जिला पाली।
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रोहट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2017 बअनवान पुखाराम के का.मु. महेन्द्र वगैरह बनाम हेमाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2018 एवं सपठित धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री अशोक अरोड़ा, श्री तरूण उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री दौलत मकवाणा, श्री उमेश सांखला, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 30.12.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2017 बअनवान पुखाराम के का.मु. महेन्द्र वगैरह बनाम हेमाराम वगैरह में पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय व डिक्री दिनांक 29.11.2017 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि रेस्पोंडेंट संख्या 1/1, 1/2, 1/3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट व रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 7 के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 88, 92ए, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई हैं। चूंकि अधिन न्यायालय ने प्रार्थीगण के नाम कभी कोई सम्मन नोटिस जारी नहीं किये, प्रार्थीगण पर कभी कोई सम्मन नोटिस आदेश 5 सी.पी.सी. अनुसार तामिल नहीं हुए प्रार्थीगण को जवाब सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया। प्रार्थीगण के पक्ष में विधि अनुसार निष्पादित वसीयत है और उस वसीयत के आधार पर जांच होकर प्रार्थीगण के पक्ष में म्युटेशन पारित किया गया था वाद प्रस्तुती से पहले, वाद प्रस्तुती के दिन अपीलाधीन डिक्री के समय और उसके पश्चात् आज दिन तक प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है और अप्रार्थीगण मृत पुखाराम के उत्तराधिकारीगण का कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा और आज भी नहीं है। अपीलाधीन डिक्री और प्राथमिक डिक्री की पालना में वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकर्ड में जो अप्रार्थी मृत पुखाराम के वारिसान के नाम जो दर्ज हुई है उस आधार पर मृत पुखाराम के वारिसान वादग्रस्त भूमि को बेचाण, हस्तान्तरण करने पर, भारयुक्त करने पर, रहन रखने हेतु आमादा है और राजस्व रेकर्ड में जो उनका नाम दर्ज हुआ है उस आधार पर गलत व झूठे रूप से सरकारी योजनाओं में इस भूमि को अपनी भूमि होना बताकर सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने पर आमादा है। वादग्रस्त भूमि पर ऋण लेने पर आमादा है, वादग्रस्त भूमि का मुआवजा प्राप्त करने आमादा है और प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने पर आमादा है। अधिन न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री सिर्फ इस आधार पर पारित की कि पत्रावली पर वादीगण ने जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है उसके खण्डन में किसी तरह की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नही है जब अपीलार्थी को साक्ष्य पेश करने का अवसर ही नहीं दिया गया तो पत्रावली पर वादीगण की साक्ष्य के खण्डन में साक्ष्य होने जैसी कोई स्थिति और परिस्थितियां नहीं थीं। इसके साथ ही योग्य अधिन न्यायालय के समक्ष यह तथ्य तो स्पष्ट रूप से आ चुका था कि वादग्रस्त भूमि के मूल खातेदार ने अपीलार्थी के पक्ष में वसीयत की थी और उस वसीयत के आधार पर म्युटेशन पारित हुए थे और उस म्युटेशन के आधार पर अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद हुए थें इन परिस्थितियों में योग्य अधिन न्यायालय का यह दायित्व बनता था कि उस वसीयत के सम्बन्ध में आवश्यक रूप से तथ्य राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार से तलब करवाते और उन्होंने जिन आधारों पर म्युटेशन पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया वे संबंधित दस्तावेज उनसे तलब करवाते और अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करते जो नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त अधिन न्यायालय ने तहसीलदार रोहट को जो तहरीर जारी की थीं। उस तहरीर की पालना में तहसीलदार रोहट ने अपीलार्थीगण को कोई सूचना नही दी और अपीलार्थी की अनुपस्थिति में उक्त तथाकथित रिपोर्ट तैयार करवाई जिसका कोई विधिक महत्व नहीं है और अपीलार्थी की अनुपस्थिति में तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर कोई अपीलाधीन अंतिम डिक्री पारित नहीं की जा सकती थीं। योग्य अधिन न्यायालय के सम्मुख जैसी कैसी भी तहसीलदार रोहट की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी तो योग्य अधिन न्यायालय का यह विधिक दायित्व था कि वह उस रिपोर्ट पर अपीलार्थीगण को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता, पक्षकारो से आपत्ति आमंत्रित करता परन्तु योग्य अधिन न्यायालय ने तहसीलदार रोहट की पालना रिपोर्ट प्रस्तुत होने की कोई सूचना अपीलार्थीगण को नही दी और तहसीलदार रोहट की रिपोर्ट पर अपीलार्थीगण को आपतियां प्रस्तुत करने का भी कोई अवसर प्रदान नहीं किया और उसके बिना अपीलाधीन अंतिम डिक्री पारित कर दी। प्रार्थीगण ने एक अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 विरूद्ध अंतिम डिक्री दिनांक 24.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की हैं जो अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है वह माफ किये जाने योग्य है। क्योंकि अपीलाधीन डिक्री दिनांक 24.01.2018 के विरूद्ध पूर्व में प्रार्थीगण द्वारा एक अपील संख्या 27/2018 प्रस्तुत की गई थीं जो अपील इसी आदरणीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.09.2019 को यह कहते हुए खारिज की थीं कि प्राथमिक डिक्री और अंतिम डिक्री की अपील एक साथ नहीं होती हैं और एक साथ की गई अपील पोषणीय नहीं है। इन परिस्थितियों में उक्त आदेश दिनांक 05.09.2019 को पारित होने के पश्चात् पुनः प्राथमिक डिक्री और अंतिम डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है—

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 29.11.2017 को निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 10.10.2019 को विलंब के साथ प्रस्तुत की। अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा पूर्व में प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री की एकसाथ अपील प्रस्तुत कर दी गई। जो अलग–अलग की जानी थीं। जो दिनांक 05.09.2019 को खारिज कर दी गई। प्रकरण गुणावगुण पर निर्णित किया जावें तथा अपीलांट द्वारा जानबूझकर विलंब नहीं किया गया है। अतः विलंबकाल माफ कर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

2. हमारे विनम्र मत में प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। अपीलांट की लापरवाही से प्रकरण में विलंब नहीं हुआ है। साथ ही अधिवक्ता/विधिवेत्ता द्वारा विधिक प्रक्रिया व प्रावधानों के विपरीत विधिक राय देने से अपीलांट द्वारा पूर्व में न्यायालय हाजा में प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री के विरूद्ध एक ही अपील राजस्व अपील संख्या 27/2018 प्रस्तुत की। जो निर्णय दिनांक 05.09.2019 को पोषणीय नहीं होने से खारिज की गई। जिससे भी प्रकरण में विलंब हुआ है। जोकि अपीलांट की लापरवाही के कारण नहीं होकर अधिवक्ता द्वारा प्रदत्त गलत विधिक राय व कार्यवाही के कारण हुआ है। जिसके लिए प्रार्थी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। अतः विलंब सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 76/2019 बअनवान हेमाराम वगैरह बनाम पुखाराम के कायम मुकाम महेन्द्र वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 30.12.2025 द्वारा अपील मंजूर करते हुए अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.11.2017 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा चुका है। हस्तगत अपील इसी प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री दिनांक 24.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अंतिम डिक्री विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित की गई हैं तथा विभाजन प्रस्ताव प्राथमिक डिक्री के आधार पर तैयार किया गया तथा प्राथमिक डिक्री न्यायालय हाजा से अपास्त की जा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि प्राथमिक डिक्री से पश्चातवर्ती कार्यवाही यथा नामांतरण, विभाजन प्रस्ताव व अंतिम डिक्री आच्छादित होते हैं। अतः प्राथमिक डिक्री अपास्त हो जाने से उक्त समस्त पश्चातवर्ती कार्यवाही स्वतः अपास्त हो चुकी हैं।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव संबंधित पटवारी व भू.अ.नि. द्वारा तैयार कर तहसीलदार को संबोधित

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

पत्र द्वारा तहसीलदार रोहट को प्रस्तुत किया गया। जिसे तहसीलदार रोहट द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर न तो पक्षकारान के हस्ताक्षर है एवं न ही विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पक्षकारान की उपस्थिति बाबत सूचित किए जाने का कोई उल्लेख है। अतः स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा स्वयं तैयार नहीं कर अपने अधीनस्थ कार्मिकों से तैयार करवाया गया। न्यायालय डिक्री से विभाजन के प्रकरणों में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 व 21 में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए संबंधित तहसीलदार द्वारा समस्त सहखातेदारान को मौके पर उपस्थिति हेतु दिनांक व समय निर्धारित करते हुए, सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर विभाजन प्रस्ताव विहित प्रारूप में मय नजरी नक्शा तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित करना आज्ञापक है। तहसीलदार उक्त कर्तव्य किसी भी दशा में अपने अधीनस्थ कार्मिकों को प्रत्यायोजित करने के लिए कानूनन सक्षम नहीं हैं। हस्तगत प्रकरण में उक्त आज्ञापक विधिक प्रावधानों का पूर्णतया उल्लंघन हुआ है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी इस पर गौर किए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में भूल की हैं। जो त्रुटिपूर्ण होने से पुष्टियोग्य नहीं हैं।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त कर प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2017 बअनवान पुखाराम के का.मु. महेन्द्र वगैरह बनाम हेमाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.01.2018 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विधिनुरूप प्राथमिक डिक्री पारित करने के उपरांत संबंधित तहसीलदार से नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तलब कर उभयपक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण को विधिनुरूप निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 29.01.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर रोहट में उपस्थित रहें। निर्णय की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **30.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

Scanned with OKEN Scanner